बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 24.09.2024

अ॰सं॰:संबं0–6144/2024–1029/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–20.09.2024 को गैर–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2024–25** हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन किया जाता है।

Sl No	Name of the Medical College	Course	Intake Capacity
1	2	3	4
1	*Netaji Subhas Medical College & Hospital, Amhara, Bihta, Patna-801106*	*MBBS*	*100*

नियम एवं शर्त्तेः–

1. औपबंधिक संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 तथा विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. N.M.C, New Delhi द्वारा सत्र–2024–25 हेतु निर्गत Letter of Permission के आलोक में सत्र–2024–25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा संबंधित संस्थान द्वारा उक्त LoP में अध्यारोपित शर्त्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा NMC, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। NMC, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में NMC, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/NMC, New Delhi/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
7. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/NMC, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

24/9/2024

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिब
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब॰–6144/2024–1029/ पटना, दिनांक 24.09.2024

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

24/9/2024

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब॰–6144/2024–1029/ पटना, दिनांक 24.09.2024

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

24/9/2024

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब॰–6144/2024–1029/ पटना, दिनांक 24.09.2024

प्रतिलिपि–डीन (अकादमिक)/डीन (चिकित्सा विज्ञान)/डीन (परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/9/2024

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना